

क्र./अका./2026/ 870

भोपाल, दिनांक 29-05-2026

अधिसूचना

विश्वविद्यालय द्वारा शिक्षकों को प्रतिवर्ष 1 से 30 जून तक कुल 30 दिवस हेतु अकादमिक अवकाशों का प्रावधान किया गया है, उक्त अवधि के दौरान विश्वविद्यालय में चलने वाली शैक्षणिक कार्यों (प्रायोगिक-सैध्दांतिक परीक्षा, उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन, प्रवेश प्रक्रिया आदि) में शिक्षकों की सेवाओं की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए उक्त अवधि के ग्रीष्मकालीन अवकाश को निरस्त किया जाता है।

उक्त अवकाशों के निरस्त करने के एवज् में शिक्षकों को पूर्वानुसार एक वर्ष में 30 दिवस के अर्जित अवकाश का प्रावधान लागू किया जाता है।

उक्त प्रावधान 01 जून 2026 से आगामी आदेश तक लागू रहेगा।

(वरिष्ठ स्तर से अनुमोदित)

(प्रो. पी. शशिकला)
प्रभारी कुलसचिव

पृ.क्र./अका./2026/ 871

भोपाल, दिनांक 29-05-2026

प्रतिलिपि:-

1. निज सचिव कुलगुरु, निज सहायक कुलसचिव को सूचनार्थ।
2. समस्त विभागाध्यक्षगणों/परिसर प्रभारियों के माध्यम से शिक्षकों सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
3. निदेशक, संबद्ध अध्ययन संस्था को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
4. परीक्षा नियंत्रक को सूचनार्थ।
5. प्रभारी वेबसाईट को प्रकाशनार्थ।
6. आदेश पुस्तिका।

(प्रो. पी. शशिकला)
प्रभारी कुलसचिव